कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर

दूरभाष (कार्यालय) 07781–252216, 252215 (फैक्स) 252211
Email : fonarainpur.cg@nic.in

–:: नीलामी निविदा आमंत्रण ::–

क्रमांक / 80 / खाद्य / नी.नि. / जप्त स्कं. / 2019–20 नारायणपुर, दिनांक 20 / 01 / 2020

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला नारायणपुर अंतर्गत वर्ष 2015 में जप्तशुदा 27 टन शक्कर (रंग परिवर्तन होकर भुरा हो गया हैं, जो कि मानवीय खाने योग्य नही) का 'जहॉ जैसी स्थिति में' नीलाम करने हेतु सीलबंद निविदायें दिनांक 07 फरवरी 2020 को दोपहर 03 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिवस निविदा समिति के समक्ष दिनांक 07 फरवरी 2020 को उपरान्ह 05 बजे निविदाकर्ता के समक्ष खोली जाएगी। नीलामी युक्त जप्तशुदा अनुपयोगी शक्कर को कार्यालयीन दिवस में पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड शाखा–नारायणपुर (छत्तीसगढ़) में देखा जा सकता हैं।

क्रं.	शक्कर का प्रकार	ऑफसेट मूल्य (रूपये)	धरोहर राशि (रूपये)
1.	**जप्तशुदा शक्कर , 27 टन** (रंग परिवर्तन होकर भुरा हो गया हैं, जो कि मानवीय खाने योग्य नही)	रू. 1260 प्रति क्विं. (दर + 5% GST)	35000.00

नोट :– उक्त निविदा की नियम व शर्ते, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी रूपये 500.00 (पांच सौ रूपये मात्र) का नगद भुगतान कर दिनांक 07 फरवरी 2020 तक अपरान्ह 02 बजे तक किसी भी शासकीय दिवस में कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के कक्ष क्रमांक–97 से प्राप्त की जा सकती है।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर

निविदा की शर्तें :–

1. समिति को यह अधिकार होगा कि यह बिना कोई कारण बताये नीलामी निरस्त कर सकती है।
2. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ से रूपये 500.00 (रूपये पांच सौ रूपये।) मात्र नगद भुगतान कर कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालय समय में दिनांक 07.02.2020 समय अपरान्ह 02 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा दिनांक 07.02.2020 को अपरान्ह 05.00 बजे कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
4. निविदाकार को उक्त शक्कर स्कंध को मानवीय खाद्य के रूप में उपयोग नही करने के संबंध में भारतीय गैर न्यायिक रूपये 50.00 के स्टांप में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. जिस सफल निविदाकार की निविदा स्वीकार की जावेगी, उन्हे तत्काल संबंधित नीलामी राशि की 100 प्रतिशत राशि जमा करना आवश्यक होगा तथा जप्तशुदा अनुपयोगी शक्कर को जहॉ जैसी हालत में है, तुरंत उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमानत राशि राजसात की जावेगी।
6. धरोहर राशि को नीलामी कार्यक्रम सम्पन्न होने पर, अधिकतम निविदादाता के मामले में समायोजन कर अन्य निविदादाता को उक्त बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक लौटा दिया जावेगा।
7. उच्चतम निविदा राशि वाले सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समय पर रंग परिवर्तन होकर भुरा हो गया हैं, जो कि मानवीय खाने योग्य नही जप्तशुदा अनुपयोगी शक्कर को नही उठाने की स्थिति में द्वितीय/तृतीय क्रम के सफल निविदाकार को अनुपयोगी शक्कर प्रदाय करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. निविदा सील बंद लिफाफा में कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ को संबांधित कर जमा कि जावेगी, लिफाफे के ऊपर ''अनुपयोगी शक्कर क्रय हेतु निविदा'' अंकित किया जावे।
9. निविदाकार को प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला खाद्य अधिकारी, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के नाम से, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक, जिसकी शाखा नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में हो, में देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।
10. अधिकतम निविदादाता को नियमानुसार जी.एस.टी. स्वयं ही जमा करवा कर रसीद 30 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तुत करने पर ही निविदा खोलने की निर्धारित निधि को अवकाश घोषित हो जाने पर निर्धारित तिथि आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ी हुई मानी जावेगी।
12. उच्चतम निविदादाता को स्वयं का फोटो पहचान पत्र एवं निवास स्थान से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय में जमा करने के उपरांत ही नीलाम की गई सामाग्री सुपुर्द किया जावेगा।
13. सशर्त निविदा अमान्य की जावेगी। कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाऍं स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा एवं किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी भी प्रकार के पोस्टल विलम्ब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
14. निविदाकार जिला नारायणपुर की वेबसाईट https://narayanpur.gov.in/ से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा में भी भाग ले सकेंगे तथा ऐसे निविदाकरों को उपरोक्त पैरा 1 में किये गये उल्लेख के अनुसार निविदा के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये 500.00 (रू. पांच सौ रूपये मात्र) का रसीद कार्यालय से प्राप्त कर निविदा प्रस्तुत करते समय जमा करना होगा।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर

दूरभाष (कार्यालय) 07781–252216, 252215 (फैक्स) 252211
Email : fonarainpur.cg@nic.in

–:: जप्तशुदा अनुपयोगी शक्कर के विक्रय हेतु ::–

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य :– ....
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि, समय :– दिनांक ....
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, सयम :–
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :–

निविदाकर्ता द्वारा भरा जावेगा

1. निविदा प्राप्तकर्ता का नाम :– ....
2. रूपये .... मात्र का रसीद क्रमांक :– ....
3. निविदा हेतु निर्धारित नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ़ एवं समझ लिये गये हैं, तथा मुझे स्वीकार है।
4. जमानत राशि हेतु रूपये .... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ....
5. मैं अपनी ओर से क्रय मूल्य निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

जप्त शक्कर 27 टन शक्कर (रंग परिवर्तन होकर भुरा हो गया हैं, जो कि मानवीय खाने योग्य नही)	रूपये अंको में .... रूपये शब्दो में ....

6. उक्त मानवीय अनुपायोगी शक्कर को किस कार्य हेतु उपयोग किया जावेगा। स्पष्ट टीप प्रस्तुत करें :–

....
....
....
....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं पूरा पता ....
....
....
दूरभाष / मोबईल नंबर...